

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठारीन अधिकारी:-

अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

01/2020

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2020/00205

वादीगण

बन्नाम

प्रतिवादी

1.भगाराम पुत्र वगताराम

2.अणारी बेवा वगताराम

जाति सुथार निवारी कोडूका

तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा

1.लूम्याराम पुत्र दुगराम

2.चनणाराम पुत्र पदमाराम

3.वंशीलाल पुत्र पदमाराम

4.श्रवणकुमार पुत्र पदमाराम

5.सागरदेवी बेवा गिरधारीराम

6.सुंदरदेवी पत्नि गिरधारीराम

7.खेताराम पुत्र गिरधारीराम

8.ओमाराम पुत्र गिरधारीराम

9.पप्पुराम पुत्र गिरधारीराम जाति सुथार
निवासी कोडूका तहसील पाटोदी10.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पाटोदी11.शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक
शाखा पचपदराराजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955उपस्थिति

- 1.श्री राजेन्द्रपालसिंह अधिवक्ता वादीगण
- 2.श्री भूपेन्द गहलोत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 9
- 3.श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 11
- 4.प्रतिवादी संख्या 02 से 08 व 10 एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 31/10/2025

संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा खाजुपुरा पटवार क्षेत्र पाटोदी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 109 क्षेत्रफल 10.0200 हैक्टर व सरहद मौजा कोडूका की खेत खसरा संख्या 202/108 क्षेत्रफल 11.2098 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 18.3.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पाटोदी को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पाटोदी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा



उभय-पक्षकारान अधिवक्ताओ द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।


लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा खाजूपुरा पटवार क्षेत्र पाटोदी तहसील पाटोदी की खेत खसरा संख्या 109 क्षेत्रफल 10.0200 हैक्टयर व सरहद मौजा कोडूका की खेत खसरा संख्या 202/108 क्षेत्रफल 11.2098 हैक्टयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	बरंग
1	भगाराम पुत्र वगताराम हि. 1/2 अणची पत्नी वगताराम हि. 1/2 कौम सुथार सा. देह खातेदार	कोडूका	202/108	3.7366	बा.दो.	नक्शे मे दर्शितानुसार
2	चनणाराम पुत्र पदमाराम हि.1/16 विनोदकुमार पुत्र पदमाराम हि.1/16 श्रवणकुमार पुत्र पदमाराम हि.1/16 सागरदेवी पत्नी पदमाराम हि.1/16 लूम्बा पुत्र दुर्गा हि. 1/4 ओमाराम पुत्र गिरधारीराम हि. 1/8 खेताराम पुत्र गिरधारीराम हि. 1/8 पपूराम पुत्र गिरधारीराम हि. 1/8 सुन्दरदेवी पत्नी गिरधारीराम हि 1/8 कौम सुथार सा. देह खातेदार	कोडूका	202/108	7.4732	बा.दो.	नक्शे मे दर्शितानुसार
3	भगाराम पुत्र वगताराम हि. 1/2 अणचीदेवी पत्नी वगताराम हि. 1/2 कौम सुथार सा. देह खातेदार	खाजुपुरा	109	3.3400	बा.दो.	नक्शे मे दर्शितानुसार
4	चनणाराम पुत्र पदमाराम हि.1/16 विनोदकुमार पुत्र पदमाराम हि 1/16 श्रवणकुमार पुत्र पदमाराम हि.1/16 सागरदेवी पत्नी पदमाराम हि.1/16 लूम्बा पुत्र दुर्गा हि. 1/4	खाजुपुरा	109 109	3.3400 3.3400	बा.दो. बा.दो.	नक्शे मे दर्शितानुसार

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गालोतरा


ओमाराम पुत्र गिरधारीराम हि. 1/8					
खेताराम पुत्र गिरधारीराम हि. 1/8					
पपूराम पुत्र गिरधारीराम हि. 1/8					
सुन्दरदेवी पत्नी गिरधारीराम हि 1/8					
कौम सुथार सा. देह खातेदार					

तहसीलदार पाटोदी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।


(अशोक कुमार)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 31/10/2025 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।




सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा 31/10/2025

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 62/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/192

वादीगण
1. भगाराम पुत्र वगताराम
2. अणसी बेवा वगताराम
जाति सुथार निवासी कोडूका
तहसील पाटोदी व जिला बालोतरा

बनाम प्रतिवादी


1. लूम्वाराम पुत्र दुर्गाराम
2. चनणाराम पुत्र पदमाराम
3. बंशीलाल पुत्र पदमाराम
4. श्रवणकुमार पुत्र पदमाराम
5. सागरदेवी बेवा गिरधारीराम
6. सुंदरदेवी पत्नि गिरधारीराम
7. खेताराम पुत्र गिरधारीराम
8. ओमाराम पुत्र गिरधारीराम
9. पप्पुराम पुत्र गिरधारीराम जाति सुथार
निवासी कोडूका तहसील पाटोदी
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पाटोदी
11. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक
शाखा पचपदरा



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर : 61/2020
निर्णय दिनांक :-31.10.2025

वादीगण की ओर से श्री राजेन्द्रपालसिंह अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 01. व 09 की ओर से श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 02 से 08 व 10 एकतरफा, इस वाद में आज तारीख 31.10.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 31.10.2025 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिए जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 31.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।*


(अशोक कुमार) 31/10/2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	_____
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस	_____	6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
	जोड़		जोड़
	_____		_____

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा